

संख्या डीजीईटी -12/1/2011-टीसी  
भारत सरकार  
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय  
रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय  
\*\*\*\*\*

नई दिल्ली, दिनांक: 18 अगस्त, 2011

सेवा में,

राज्य निदेशक/संघ शासित प्रदेश प्रशासक  
(शिल्पकार प्रशिक्षण योजना से संबंधित)  
(संलग्न सूची के अनुसार)

JP  
120

विषय- राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् से इकाइयों /ओ.प्र.संस्थानों /ओ.प्र. केन्द्रों के व्यवसायों के संबंधन से संबंधित।


महोदय

रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय (मुख्यालय), नई दिल्ली में दिनांक 18 अगस्त, 2011 को आयोजित बैठक में ओ.प्र.सं./ओ.प्र.केन्द्रों को संबंधन से संबंधित राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् (एनसीवीटी) की उप-समिति के सदस्यों के समक्ष रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय को भेजी गई स्थायी समिति निरीक्षण रिपोर्टें (एससीआईआर), विभागीय निरीक्षण रिपोर्टें (डी.आई.आर) तथा पूरक निरीक्षण रिपोर्टें (एस.आई.आर), विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत की गई थीं।

समिति ने विभिन्न संबंधन मामलों की पड़ताल की और एनसीवीटी मानकों के अनुरूप मामलों में अनुमोदन प्रदान किया। आपके राज्य से संबंधित ओ.प्र.सं. /ओ. प्र. केन्द्रों. /व्यवसायों/इकाइयों, जिन्हें अनुमोदन प्रदान किया गया/ अस्वीकृत किया गया, विधिवत रूप से हस्ताक्षरित उनके नामों को दर्शाने वाला विवरण टिप्पणियों, यदि कोई हों, के साथ संलग्न है। यह सूचना वेबसाइट <http://www.dget.nic.in/affiliation/welcome.html> पर भी उपलब्ध है। इस संबंधन आदेश के आधार पर राज्य सरकार कृपया संबंधित ओ.प्र.सं. /ओ. प्र. केन्द्रों के प्रबंधन को एक सप्ताह के भीतर कृपया संबंधन जारी करें।


कृपया ध्यान दें, जिन मामलों में स्पष्टीकरण मांगा जाता है, उनके संबंध में उत्तर रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय (मुख्यालय) नई दिल्ली को तुरन्त भेजा जाए जिससे इन पर अगली बैठक में विचार किया जा सके।

भवदीय,

  
(आर.एल.सिंह)  
निदेशक प्रशिक्षण

संलग्नकों के साथ प्रति निम्न को सूचनार्थ :

1. क्षेत्रीय शिक्षता प्रशिक्षण निदेशक, चेन्नई, फरीदाबाद, कानपुर, कोलकाता, हैदराबाद, मुंबई, और निदेशक-फोरमैन प्रशिक्षण संस्थान, बंगलौर- यह अनुरोध है कि अस्वीकृत मामलों के लिए संबंधित अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगें और रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय (मुख्यालय) को अग्रेषित करें।
2. सभी संबंधित ओ.प्र.सं./ओ.प्र.के. ।

  
( एम.एम गेरा )  
संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण



Note: - As per NCVT decision all the instructors must be trained within three years. The State Director/Commissioner/Pvt management are requested to sponsor 30% instructors every year for Training in Trainer Program (in any CTI module) of DGET field Institute.

<i>SCIR (Standing Committee Inspection Report); DIR (Departmental Inspection Report); Std. Comm (Standing Committee); NR (Not Recommended); NC (Not Considered); SIR (Supplementary Inspection Report); PS (Power Supply); T&amp;E (Tools &amp; Equipment)</i>							
Name, Address & File No. of Institute for ref. & Future correspondence draft	Trade	Units for which affiliation sought / recommended by			Approval by Sub-Committee of NCVT	Remarks	
		Instt.	Std. Comm.	DGET			
118 ✓ Shree Radha Krishna Private ITI, Vill. Kastla Kasmabad ki Madhaiya, P.O. Kastla Kasmabad Teh. Hapur Dist. Ghaziabad Uttar Pradesh  DGET-6/24/194/2011-TC (New Pvt.)	Fitter Electrician	2(1+1) 2(1+1)	2(1+1) 2(1+1)	2(1+1) 2(1+1)	2(1+1) 2(1+1)	SCIR-14/7/2011 w.e.f. Aug 2011	
119 ✓ Ideal Private ITI, Swami Dayanad Vihar Delhi Road, Dist. Saharanpur Uttar Pradesh  DGET-6/24/14/2008-TC	Electrician Fitter	Addl. One Unit Addl. One Unit	- -	Addl. One Unit Total 3(1+1+1) Addl. One Unit Total 3(1+1+1)	Addl. One Unit Total 3(1+1+1) Addl. One Unit Total 3(1+1+1)	DIR-28/6/2011 w.e.f. Aug 2011 *S/D must ensure the joining of instructors before commencement of training & send the bio-data and joining report of instructor to DGET for record.	
120 ✓ Apex Private ITI, Chak Bhatahi Naini, (New Rajee Colony) Dist. Allahabad Pin- 211008 Uttar Pradesh  DGET-6/24/30/2007-TC	Electrician Fitter COPA	Addl. 2 Unit Addl. 2 Unit Addl. One Unit	- - -	Addl. 2 units Total 6(2+2+2) Addl. 2 unit Total 6(2+2+2) Addl. One Unit Total 3(1+1+1)	Addl. 2 units Total 6(2+2+2) Addl. 2 unit Total 6(2+2+2) Addl. One Unit Total 3(1+1+1)	DIR-26/6/2011 w.e.f. Aug 2011	
121 ✓ Ram Nath Munshi Private ITI, Sadat Dist. Ghazipur Uttar Pradesh  DGET-6/24/175/2009-TC	Fitter Electrician	Addl. One Unit Addl. One Unit	- -	Addl. One Unit Total 3(1+1+1) *Rejected	Addl. One Unit Total 3(1+1+1) *Rejected	DIR-11/7/2011 w.e.f. Aug 2011 * Rejected because of shortage of instruments & machineries as per NCVT norms.	